रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 14, 2013/माघ 25, 1934
No. 76] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 14, 2013/MAGHA 25, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 83(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, कम्प्यूटर और प्रणाली प्रभाग, उप निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, कम्प्यूटर और प्रणाली प्रभाग में उप निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, कम्प्यूटर और प्रणाली प्रभाग, उप निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद-संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो पूर्वोक्त नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निदेशक	3*(2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -4, 37400-67000 रु.+ ग्रेड वेतन 8900 रु.	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणः** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,मेघालय,अरुणाचल प्रदेश,मिजोरम, मणिपुर ,नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्यक्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आवश्यक अर्हताएं: (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन या कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या एम.टेक (कम्प्यूटर एप्लीकेशन में विशेषज्ञता के साथ) या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में बी.ई./ बी.टेक; (ii) इलैक्ट्रानिक आँकड़ा प्रसंस्करण या कम्प्यूटर उन्मुख आप्टीमाइजेशन सूचना या सांख्यिकीय प्रणाली में बारह वर्ष	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएँ: हाँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	शतप्रतिशत संयुक्त पद्धति: प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति] (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंनें मूल काडर या विभाग में वेतन	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: (i) अपर सचिव,गृह मंत्रालय-अध्यक्ष (ii) निदेशक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो - सदस्य (iii) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय- सदस्य	पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

का अनुभव, जिसमें से वास्तविक कम्प्यूटर कार्यक्रमण और प्रणाली डिजाईन या डिजाईन,विकास या कम्प्यूटरीकृत सूचना का संचय और पुनः प्राप्ति प्रणाली संयोजन में सात वर्ष का अनुभव शामिल है। या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रानिक्स या इलैक्ट्रानिक्स और संचार में बी.ई/बी.टेक; (ii) इलैक्ट्रानिक आँकड़ा प्रसंस्करण या कम्प्यूटर उन्मुख आप्टीमाइजेशन सूचना या सांख्यिकीय प्रणाली में तेरह वर्ष का अनुभव, जिसमें से वास्तविक कम्प्यूटर कार्यक्रमण और प्रणाली डिजाईन या डिजाईन,विकास या कम्प्यूटरीकृत सूचना का संचय और पुनः प्राप्ति प्रणाली संयोजन में आठ वर्ष का अनुभव शामिल है। या (ग) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में				बैंड-4, 37400-67000 रु.+ ग्रेड वेतन 8700 रु. या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएँ और विहित अनुभव हो। (2) वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु.+ ग्रेड वेतन 8700 रु.में ऐसे विभागीय संयुक्त उप निदेशक जिन्होनें उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हैं; वे भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किये जाएंगे और यदि उस पद पर उनका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । [प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी		

बैचलर डिग्री; (ii) इलैक्ट्रानिक आँकड़ा प्रसंस्करण या कम्प्यूटर उन्मुख आप्टीमाइजेशन सूचना या सांख्यिकीय प्रणाली में बारह वर्ष का अनुभव, जिसमें से वास्तविक कम्प्यूटर कार्यक्रमण और प्रणाली डिजाईन या डिजाईन,विकास या कम्प्यूटरीकृत सूचना का संचय और पुनः प्राप्ति प्रणाली संयोजन में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव शामिल है। **टिप्पण 1:** उपरोक्त विहित अनुभव केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों और ख्याति प्राप्त संगठनों से प्राप्त किया गया हो। **टिप्पण 2:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा				है) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।] प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों)पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है,वेतन आयोग		

591 GI/13-2

सकती है। **टिप्पण 3:** अनुभव संबंधी अर्हता ।अर्हताएं। उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।				की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा. सं. (035)/33/3/2011-प्रशा. II/एन सी आर बी]

एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2013

G.S.R. 83(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Computer and Systems Division, Deputy Director (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director in the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Computer and Systems Division, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Computer and Systems Division, Deputy Director (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale. - The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay/pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director	3* (2013) * subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-4, Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 8900	Not applicable	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Divsion of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential Qualification:- (A) (i) Master's Degree in Computer Applications or Computer Science or M.Tech (with specialisation in Computer Applications) or BE/B.Tech in Information Technology or Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology from a recognised University or Institute; (ii) Twelve years' experience	Age: No Educational Qualifications: Yes	One year for direct recruits	100% composite method deputation (including short- term contract) plus promotion failing which by direct recruitment.	Composite method [deputation (including short-term contract) plus promotion] (1) Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: (i) Additional Secretary, Ministry of Home Affairs - Chairman (ii) Director, National Crime	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling up the post.

of electronic data processing or computer oriented optimization information or Statistical System, out of which at least seven years' experience should be in actual Computer Programming and System Design or Design, Development or Organising Computerised Information Storage and Retrieval System. OR (B) (i) BE/B.Tech in Electronics or Electronics and Communication Engineering from a recognised University or Institute; (ii) Thirteen years' experience of electronic data processing or computer oriented optimisation information or Statistical System, out of which at least eight years' experience should be in actual Computer Programming and System Design or Design, Development or Organising Computerised Information Storage and Rretrieval System. OR (C) (i) Bachelor's Degree in Computer Applications or Computer Science or				(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-4, Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 8700 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). (2) The departmental Joint Deputy Director in the Pay Band-4, Rs. 37400-67000 Plus Grade Pay of Rs. 8700 with two years' regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case he is selected, the post shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. [Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post	Records Bureau - Member (iii) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member	

Information Technology **or Electronics** from a recognised University or Institute; (ii) Thirteen years' experience of electronic data processing or computer oriented optimisation information or Statistical System, out of which at least eight years' experience should be in actual Computer Programming and System Design or Design, Development or Organising Computerised Information Storage and Retrieval System. **Note 1:** The experiences as prescribed above should be from the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisations of repute. **Note 2:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.				held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years]. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2**: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

Note 3: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.						

[F. No. (035)/33/3/2011-Ad. II/NCRB]

S. SURESH KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.